संक्षिप्त

शिविर का औचक निरीक्षण

टोंक। दूनी मुख्यालय स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड टोंक के तत्वाधान एवं प्रधानाचार्य भंवर लाल कुम्हार के निर्देशन में चल रहे कौशल विकास एवं अभिरुचि शिविर समर कैंप का बुधवार को टोंक स्काउट एवं गाइड की सीओ आचु मीणा ने रोवर संजय मीणा के साथ औचक निरीक्षण किया। कैंप प्रभारी अशोक शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान छात्रों से रूबरू होते हुए सीओ मीणा ने कहा कि इस प्रकार के कैंप जीवन को निखारने का अच्छा मंच है। इनसे बालक बालिकाओं का शारीरिक व मानसिक विकास सुदृढ होता है। निरीक्षण के दौरान सीओ ने वंदे गंगा अभियान में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया।

अवैध गांजा सहित आरोपी पकड़ा

टोंक। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिलेभर में चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थो की रोकथाम के तहत वृताधिकारी टोंक राजेश कुमार विद्यार्थी एवं पुरानी टोंक थानाधिकारी नेमीचन्द गोयल के नेतृत्व में गठित टीम व जिला स्पेशल टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये अस्तल रोड छावनी से आरोपी हेमन्त उर्फ बाबू पुत्र सत्यनारायण ब्राहम्ण उम्र 30 साल निवासी जोशियों का मौहल्ला पुरानी टोंक को अवैध मादक पदार्थ गांजा वजन 1.910 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

दामोदर गौशाला में किया पौधारोपण

निवाई। श्री दामोदर गौशाला में पशु चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में वन्दे गंगा जल संरक्षण जन महाअभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। गौशाला प्रवक्ता चंद्रप्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि कार्यक्रम प्रभारी पशु चिकित्सक डॉ. मुकेश मंगल के सानिध्य में गौशाला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जल संरक्षण की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण किया गया। कार्यकर्ताओं ने गौशाला की साफ-सफाई भी की। इस अवसर पर मंत्री कैलाशचंद्र अठावाल, सुरेश गुप्ता सहित गौ प्रेमी व गौशाला कर्मचारी मौजूद थे।

'जो हरि से जुड़ गया वह तर गया'

निवाई। झूलेलाल धर्मशाला में पुष्करदास महाराज के सानिध्य में संगीतमय भागवत कथा का आयोजन हुआ। जिसमें पुष्करदास महाराज कहा कि ऋषि मुनियों ने भूखे, प्यासे रहकर बड़े संघर्ष के साथ ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने कहा कि जो हरि से जुड़ गया वह तो तर गया और जो मोह, माया के नशे में रहा वो डूब गया। परमात्मा के लिए एक कदम हम बढ़ाएंगे तो एक कदम वो भी बढ़ाएगा। भक्त वही होता है जो परमात्मा से जुडा रहे।

मोहित चौधरी का नीट में चयन

निवाई। ग्राम पंचायत पलेई निवासी मोहित चौधरी ने नीट परीक्षा 2025 में आल इंडिया लेवल पर 956 वीं रैंक हासिल की है। मोहित के पिता भवानीशंकर जाट एक किसान हैं। मोहित ने 720 में से 586 अंक अर्जित किए हैं। मोहित की इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मोहित ने गांव व परिवार का नाम रोशन किया है।

जनसुनवाई 19 जून को

कोटपूतली । जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं/समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रातः 11रू00 बजे से कलेक्ट्रेट भवन कोटपूतली के सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

दो बावरिया महिला आरोपी गिरफ्तार

- पावटा बस स्टैंड पर रोडवेज बस में ससुराल जा रही महिला यात्री का बैग चोरी का खुलासा
- महिला आरोपी भीड़ भाड वाले क्षेत्र में संचालित बसो में देते थी चोरी की घटनाओं को अंजाम
- पुलिस ने महिला गैंग से यात्रियों से चोरी किया गया सामान बरामद किया

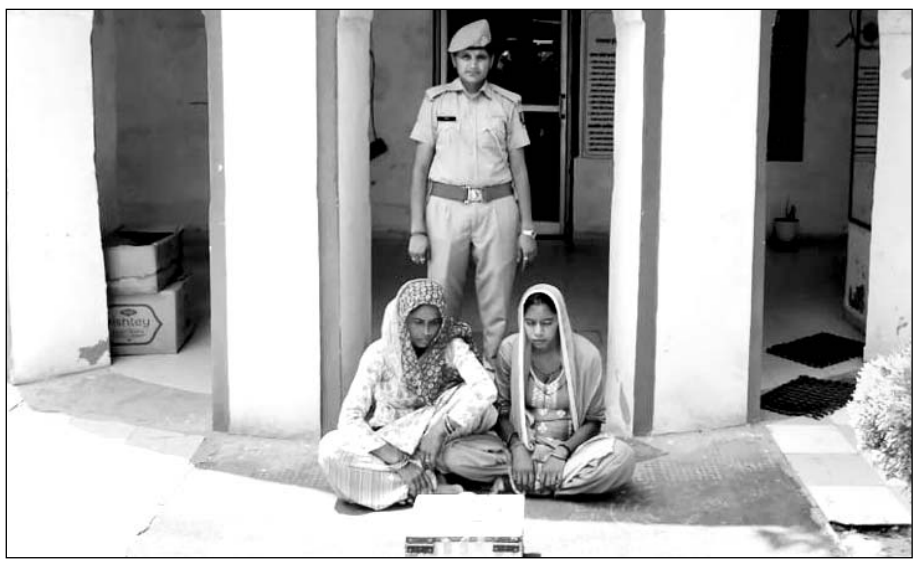
प्रागपुरा थाना पुलिस ने बसों में चोरी करने वाली गैंग की दो महिला सदस्यों को पकड़ा।

पावटा । जिला कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि चोरी व नकबजनी करने वाले बदमाशो व इन गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली वैभव शर्मा के सुपरविजन व वृत्ता धिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत के निर्देशन एवं प्रागपुरा थाना प्रभारी किरण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर टीम द्वारा उक्त घटना का खुलासा करते हुए घटना में शरीक मुलजिमा सपना पत्नी नरेश उर्फ गुलशन जाति बावरिया उम्र 25 साल निवासी सोलाके थाना मुनकटी जिला पलवल हरियाणा हाल टापरी थाना प्रागपुरा, सुनीता पत्नी सतीश जाति बावरिया उम्र 38 साल निवासी सोलाके थाना मुनकटी जिला पलवल हरियाणा हाल टापरी थाना प्रागपुरा को गिरफ्तार कर प्रकरण हाजा का माल मशरुका बरामद किया गया। प्रागपुरा थाना प्रभारी किरण सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी हनुमत सिंह पुत्र हरिसिंह निवासी थापन थाना सिवाना जिला बाड़मेर ने अपनी पत्नी रवीना कंवर के साथ प्रागपुरा थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज करवाया था कि वो 16 जून समय 5 बजकर 10 मिनट पर पावटा बस स्टैंड पर रोडवेज बस में चढ़ रहे थे तभी दो महिलाए मेरी पत्नी रवीना कंवर का बैग लेकर चलती बस से कूद गई। उनके साथ बस स्टैंड पर एक महिला और मौजूद थी। बैग में एक सोने के गले का, एक सोने की अंगूठी, मंगल सूत्र के मणिये, बच्चे की दो पायजेब की जोड़ी, छः बिछुडी पैरों की, 2500 रुपए नकद, एटीएम, पासबुक उज्जवल वन बैंक, तीन पर्स सुनार वाले सहित अन्य सामान था। जिस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था।

छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया 15 जुलाई तक

कोटपूतली। जिला कोटपूतली-बहरोड़ के ग्राम पवाना अहीर में मूलचंद प्रभुदयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अधीन गत वर्ष से संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास में शिक्षा निदेशालय एवं एडीपीसी समग्र शिक्षा द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 है।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मंडल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक : 4516 दिनांक : 17.6.25

जाहिर आम-सूचना

राजस्थान आवासन मंडल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 85/415 (LIG) का आवंटन श्री राम नागोराव नाईक पुत्र श्री नागोराव नाईक को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1362 दिनांक 07.01.1994 को जारी किया गया था। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 13.03.2020 को कर दिया गया। श्री राम नागोराव नाईक की मृत्यु दिनांक 21.04.2025 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री केशव कश्यप पुत्र स्व. श्री राम नाईक कश्यप द्वारा आवासन मंडल में अपना नाम रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर मंडल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवासन का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मंडल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री केशव कश्यप पुत्र स्व. श्री राम नाईक कश्यम का नाम मंडल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। सम्पदा प्रबंधक
वृत्त-प्रथम, राज. आवास. मंडल, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय पारिवारिक एवं न्यायाधीश अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश क्रसं. 10 सांगानेर, जयपुर, स्थान प्रथम सांगानेर, तनुजा बाई शर्मा विरुद्ध विष्णु शर्मा।

वाद/प्रार्थना पत्र .....
प्रार्थना-पत्र संख्या 199/24 सन्

नाम विष्णु शर्मा पुत्र मुकुट शर्मा जाति ब्राह्मण, पता निवासी- मैन मार्केट बरखेडा, अलवर राज.-301406, उक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि संलग्न है।

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 11 माह 07 सन् 2025 को 10.30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक् रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एख पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज दिनांक 17 माह 06 सन् 2025 की मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
मोहर अदालत संखअया 10, जयपुर महानगर
प्रथम मुख्यालय सांगानेर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण क्रम संख्या 1 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
श्रीमती सुगन यादव विरुद्ध कैलाश चन्द वगैरा
मृत प्रार्थना पत्र संख्या -01/2023

नाम :- 1. कैलाश चन्द पुत्र श्री राम लाल उम्र 20 वर्ष, 2. कु. निकिता पुत्री श्री राम लाल उम्र 10 वर्ष, 3, मा. प्रियांशु पुत्र श्री रामलाल उम्र 8 वर्ष, 4. मा. मोहित पुत्र श्री रामलाल उम्र 6 वर्ष। जरिये संरक्षक पिता कैलाश चन्द, निवासीगण ग्राम मोहनपुर की ढाणी, चन्दलाई, पुलिस थाना शिवदासपुरा तहसील चाकसू जयपुर राजस्थान ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि.....।

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 21 माह 06 सन् 2025 को 8.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप में किया जाएगा। यह आज ता. 01 माह 05 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लागकर दी गई।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
मोहर अदालत क्रसं. 1, जयपुर महानगर
द्वितीय, जयपुर (राज.)

खोया पाया

मेरे प्लॉट नं.26, माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.द्वारा जारी पट्टे की ओरिजनल रसीद दिनांक 17.06.2025 को प्रातः 11 बजे गुरूनानक कॉलोनी से ब्रह्मपुरी बस स्टैण्ड के बीचे कहीं गिर गई है। मिलने पर सूचित करें। मोहनदास रामरखानी 9314516880

मेरा मकान नं.70/43 प्रतापनगर, सांगानेर का मूलमांग रसीद अदेय प्रमाणपत्र कब्जा पत्र डिक्लेरेशन एवं अन्य दस्तावेज कहीं गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें- रमेश कुमार 8209370154

मेरा फ्लैट नं. 28/D/G/02 झेलम अपार्टमेंट प्रतापनगर, सांगानेर का मूल आंवटन पत्र गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें- स्वेता अग्रवाल 9079034561

मेरे भूखण्ड संख्या T-18 जेडीए की योजना सन सिटी फेस 2 की मूल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी गुम हो गई है सूचित करें। कौशल करवा मो - 9435030091

नाम परिवर्तन

मेरी पत्नी का नाम मेरे पुत्र विनीत चौधरी के आर्मी रिकॉर्ड में Premwati दर्ज है, जो गलत है। उसकी 10वीं की अंकतालिका में सही नाम Premvati Devi है। भविष्य में उसकी माता का नाम Premvati Devi माना जाए। पुष्पेंद्र सिंह, 60 अजय रेजीडेंसी, सुमेल रोड, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर

मेरे आर्मी रिकार्ड नं. 17002386H Rank NK (TECH GCE) संतोष शर्मा निवासी-सी-52, संस्कार विहार, मीनावाला, पांच्यावाला, वैशाली नगर, जयपुर (राज) मैंने अपनी माताजी का नाम पार्वती देवी शर्मा (Parwati Devi Sharma) से बदलकर पार्वती शर्मा Parvati Sharma (D.O.B. 01/01/1965) कर दिया है। OVide affidavit दिनांक 16.06.2025 नोटेरी पब्लिक जयपुर (राज.)

मैं, आर्मी नंबर- 15431105L, रैंक- हवलदार भरत आर, निवासी- 1/49, 4, तह.- श्रीरंगम, मुलिकारुम्बुर, कुमारवायलूर, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, ने भविष्य के लिए अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी पत्नी का नाम डेज़ीरानी बी से बदलकर डेज़ीरानी जी कर दिया है।

मैंने अपना नाम पायल से बदलकर पायल फाफरिया (PAYAL FAFRIYA) धर्मपत्नी श्री रोहित कुमार नागौरी रख लिया है। भविष्य में मुझे पायल फाफरिया के नाम से जाना व पहचाना जायें। निवासी आस्था होम्स, प्लॉट न.24,गांधीपथ पश्चिम, वैशाली नगर, जयपुर।

मैंने अपना नाम संगीता अग्रवाल से बदलकर संगीता बजाज पत्नी श्री सत्यनारायण बजाज रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी 7/एच, 4/09, पापड के हनुमान जी रोड, 6/376, सेक्टर 7, विद्याधर नगर, जयपुर

I Sima Gadiya W/o Rajesh Kumar Gadia R/o W.N-9, Between Road No. 2-3 Ke Bich Maan Nagar, Jhunjhunun, Rajasthan - 333001, have changed my name to Seema Gadia.

I Rajesh Gadiya S/o Atmaram Gadia R/o W.N-9, Between Road No. 2-3 Ke Bich Maan Nagar, Jhunjhunun, Rajasthan - 333001, have changed my name to Rajesh Kumar Gadia

रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना का तृतीय चरण शुरू

कोटपूतली । रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिली अप्रत्याशित सफलता के पश्चात् योजना के तृतीय चरण की शुरूआत 16 जून से हो गई है। राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत 30 अप्रैल 2025 तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले उद्यमी एवं निवेशक 16 से 27 जून तक ऑनलाईन ईएमडी जमा करवा सकेंगे।

इस चरण के अंतर्गत ई-लॉटरी 02 जुलाई को निकाली जायेगी। आरएम रीको नीमराना राहुल भट्ट ने बताया कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तृतीय चरण में राजस्थान के विभिन्न 97 औद्योगिक क्षेत्रों में 6806 भूखण्ड रखे गये हैं। योजना में विभिन्न श्रेणियोंध्वर्गों के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं जिनमें से अनूसूचित जातिध्जनजाति के लिये 237, महिला वर्ग के लिये 206, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 117, बेंचमार्क दिव्यांगता के लिये 147 तथा सशस्त्र बलोंध्अर्ध सैनिक बलों के मृतक आश्रित के लिये 62 भूखण्ड हैं। 6037 भूखण्ड अनारक्षित हैं। मार्च 2025 में प्रारंभ हुई इस योजना के प्रथम चरण में निवेशकों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 6 हजार से अधिक भूखण्डों में से अपनी रूचि एवं आवश्यकता के आधार पर आरक्षित दर पर सही भूखण्ड चयन करने का अवसर दिया गया था। प्रथम चरण में 87 भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है। योजना का द्वितीय चरण मई माह में प्रारंभ हुआ जिसमें लगभग 7100 भूखण्ड रखे गये। ई-लॉटरी 05 जून को आयोजित हुई। इस चरण में 464 निवेशकों ने 329 भूखण्डों पर ऑनलाईन आवेदन किया। करीब 321 भूखण्डों के ऑफर लेटर देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन 321 भूखण्डों के माध्यम से राज्य में करीब 1800 करोड़ रूपये का निवेश होगा। इन भूखण्डों की कीमत लगभग 648 करोड़ है। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में निवेशकों ने बड़ी संख्या में आवेदन किये। जो निवेशक योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये हैं, तृतीय चरण में उन्हें भूखण्ड प्राप्त करने का अवसर दिया जायेगा, यदि उन्होंने राज्य सरकार के साथ 30 अप्रैल तक एमओयू निष्पादित किया हो। भूखण्ड प्राप्त करने के पश्चात् निवेशक जल्द से जल्द अपनी औद्योगिक इकाई लगायें, इसके लिये राज्य सरकार और विभाग उद्यमियों की हर संभव सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। एमओयू को धरातल पर लाने का भरसक प्रयास राज्य सरकार और विभागीय स्तर पर किया जा रहा है एवं इनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के तहत औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस कंपनी अथवा व्यक्ति के द्वारा एमओयू किया गया है। भूखण्ड उसी कंपनीध्व्यक्ति को आवंटित किया जा सकेगा। अतः निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन का रजिस्ट्रेशन करते समय इस बिंदु का विशेष ध्यान रखें। प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के संबंध में अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों इत्यादि के लिये रीको के पोर्टल या रीको की वेबसाइट को देखें।

फुलेरा में रेलवे संपर्क फाटक वाहन चालकों के लिए मुसीबत बना

फुलेरा । रेल नगरी के नाम से मशहूर फुलेरा कस्बा देश में रेलवे का प्रमुख केन्द्र रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कस्बे में चारों ओर रेल लाईनों का जाल बिछा हुआ है। इसके साथ ही यहां से देश के चारों तरफ रेलवे के माध्यम से महानगरों को जोड़ा जाता रहा है। जैसे-जैसे देश में आवश्यकता अनुसार विकास हुए। ठीक इसी प्रकार रेलवे ने भी अमान परिवर्तन के साथ-साथ सभी जगह रेलवे की समपार फाटकों को बन्द करते हुए उनके स्थान पर अण्डरपास अथवा ऑवरब्रिज बना दिए गए। परन्तु फुलेरा क्षेत्र में स्थित अजमेरी गेट रेलवे सम्पर्क फाटक संख्या एक आज भी लोगों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है।

गौरतलब है कि फुलेरा की भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्षेत्र की करीब आधी जनसंख्या रेलवे सम्पर्क फाटक संख्या एक अजमेरी गेट के दूसरी ओर निवास करती है, तो वहीं इसके विपरीत दिशा के क्षेत्र में सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं जिसमें सरकारी कार्यालय, उपजिला अस्पताल, विद्यालय, हाई स्कूल, कन्या महाविद्यालय, रेलवे स्टेशन, रेलवे अस्पताल आदि जनमानस की रोजमर्रा के कार्य अनुसार फाटक की दूसरी ओर स्थित होने के कारण उक्त फाटक से ही आना-जाना पड़ता है।

जानकारी के अनुसार इस समपार फाटक से अल-सुबह से लेकर रात्रि तक लोगों का आवागमन बना रहता है। परन्तु यह फाटक बन्द रहना लोगों की आवाजाही पर रोक लगा देता है। या यूं कहें कि यह संपर्क फाटक संख्या एक अजमेरी गेट अधिक समय तक बन्द रहना लोगों के लिए एक तरह से अभिशाप ही बना हुआ है। हालांकि रेलवे आमजन की सुविधा के लिए उक्त फाटक की एवज में पास भी अण्डरपास निर्माण करवा रही है। परन्तु उक्त अण्डरपास का निर्माण कार्य भी कछुआ चाल से चल रहा है। इसके चलते लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त अण्डरपास का निर्माण कार्य जल्द ही पूर्ण करवाकर आमजन को राहत प्रदान करें। साथ ही मांग की है कि जब तक अण्डरपास का निर्माण कार्य पूर्ण ना हो तब तक रेल प्रशासन समपार फाटक को नियम अनुसार खुलवाने में हस्तक्षेप करें।

फिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ

टोंक। उपखंड मालपुरा में प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बुधवार को प्राचीन ब्रह्म तालाब स्थित छत्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शिव मंदिर व तालाब किनारे पूजा-अर्चना कर अधिकारियों, कार्मिकों एवं ग्रामीणों को पर्यावरण व जल संरक्षण की शपथ दिलाई।

समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए चौधरी ने जल संरचनाओं का जीर्णोद्वार, पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण करने, जल प्रदूषण में कमी, पर्यावरण के प्रति जागरूता, भूजल पुर्नभरण के बारे में जानकारी देकर जल संरक्षण करने का आव्हान किया। साथ ही, बम तालाब में 50 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराने की घोषणा की। इसके साथ ही, जलदाय मंत्री ने आमजन की समस्याएं सुना एवं अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने शहर के घाटी रोड़ स्थित 9 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत से बने फिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस प्लांट में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत मल-मूत्र कीचड़ से खाद तैयार किया जायेगा। प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी एमवीआर टेक्नोलॉजी कंपनी आंध्र प्रदेश को 10 वर्षो के लिए दी गई है। कार्यक्रम में घूमंतु परिवारों को नगर पालिका द्वारा पट्टे भी वितरण किए।

कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद कुमार मीणा, सीईओ परशुराम धानका, एएसपी मोटराम बेनीवाल, उपखंड अधिकारी अमित चौधरी, तहसीलदार पवन मातवा, नगर पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी, जिला परिषद सदस्य छोगालाल गुर्जर, एडवोकेट राजकुमार जैन, इंद्रपाल चौधरी, धर्मवीर जांगिड़, जिनेंद्र मेहन्दवास्या, त्रिलोक चंद जैन समेत बड़ी संख्या में आमजन एवं अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे।

कर सम्बंधी नए नियमों पर चर्चा

- आयकर, वस्तु एवं सेवाकर से सम्बन्धित नये नियमों व नये कार्यों पर विचार-विमर्श किया

कोटपूतली। कोटपूतली कर सलाहकार संघ की बैठक बुधवार को अध्यक्ष एड. अशोक कुमार बंसल की अध्यक्षता में राजमार्ग स्थित आरटीएम होटल में आयोजित की गई। जिसमें आयकर, वस्तु एवं सेवाकर से सम्बन्धित नये नियमों व नये कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई।

संगठन के प्रवक्ता एड. अविनाश तिवाड़ी ने बताया कि आयकर नियमों ये धारा 80 सी एवं 80 डी में मकान किराया भत्ता, शिक्षा एवं गृह ऋण ब्याज सहित कई अन्य कौतियों के विवरण आयकर रिटर्न में भरने होगें। पिछले कई वर्षो से कई करदाता बिना वैध दस्तावेज एवं गलत जानकारी देकर कटौतियों का लाभ उठाते आये है। जिससे गलत रिफन्ड एवं चोरी की घटनायें बढ़ी है। इसे देखते हुए आयकर विभाग ने फार्म -1 और फार्म-4 में कई अहम बदलाव किये हैं। धारा 80 सी के लिए निदेश की रसीदो के नम्बर, खाता नम्बर, पॉलिसी नम्बर तथा धारा 80 डी के लिए स्वास्थ्य बीमा से सम्बन्धित जानकारी जैसे कम्पनी का नाम व पॉलिसी संख्या आदि की जानकारी देनी होगी।

संगठन के सचिव राहुल अग्रवाल ने वस्तु एवं सेवाकर के फॉर्म जीसटी आर-1 में हुये बदलावों को बताया कि जीसटी अधिनियम को अधिक पारदर्शी और डेटा आधारित बनाने के लिए जीएसटी आर-2 में टेबल नं.-13 को अनिवार्य कर दिया गया है। जिसे बिना भरे जीएसटीआर-2 फाईल नहीं होगा। जिसमें यह बताना होगा कि किस सिरियल नम्बर तक इनवाइस जारी किये गये है तथा कुल कितने इनवाइस कैंसिल किये गये है।

संगठन प्रवक्ता एड. अविनाश तिवाड़ी ने बताया कि फॉर्म जीएसटीआर-1 में व्यापारियों को अब बी टु बी पंजीकृत व्यापारी और बी टु सी अपंजीकृत व्यापारी को दी गयी सप्लाई के लिए अलग-अलग एचएसएन कोड लगाकर दिखाना होगा तथा एचएसएन कोड के अनुसार आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी में कितनी राशि वसूल की गयी है यह सब अलग-अलग बताना होगा। मिटिंग में नये सदस्य के रूप में सीए अविनाश गर्ग व सीए नटवर शर्मा को जोड़ा गया।

संस्था के कोषाध्यक्ष अमित बंसल ने आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। संचालन कृष्ण कुमार सैनी ने किया। इस दौरान अशोक कुमार बंसल, राहुल गुप्ता, अविनाश तिवाड़ी, कृष्ण कुमार सैनी, अमित बंसल, कुलदीप गर्ग, मनीष मित्तल, अविनाश गर्ग, नटवर शर्मा, राहुल अग्रवाल समेत अन्य मौजूद रहे।

कार्यालय नगर परिषद, दौसा
फोन व फैक्स-01427-220054 लालसोट रोड दौसा 303303 ई-मेल-dausa.jaipur@yahoo.com
क्रमांक : 1549 प्रारूप-10 नियम 6(7) दिनांक 18/6/25

(प्राधिकृत अधिकारी) नगर परिषद दौसा
लोक सूचना

वनवारीलाल पुत्र कल्याणसहाय हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण, मुरारीलाल पुत्र कल्याण हिस्सा-पूर्ण जाति-ब्राह्मण ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र
1	दौसा	भंडाना	1403	0.92 है0
2	दौसा	भडाना	1404	0.16 है0
3	दौसा	भंडाना	1405	0.33 है0
4	दौसा	भंडाना	1406	0.33 है0

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1956 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी की आपेक्ष नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
गयी। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ...को जारी की
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद दौसा

जल संरक्षण करना ही हमारी संस्कृति और भविष्य दोनों की सुरक्षा है : मंत्री जोगाराम

- वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर मंत्री ने सैकड़ों तुलसाजी के पौधे वितरित किए

मंत्री जोगाराम ने निवाई में वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में तुलसी का पौध वितरित किया।

निवाई/झिलाय। ग्राम पंचायत भरथला के गांव धतूरी में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल व विधायक रामसहाय वर्मा के सानिध्य में वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन हुआ।

जल ही जीवन है, इस मूल मंत्र को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत गांव रामनगर धतूरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जल देव का पूजन किया और पीपल का पौधा लगाकार पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जल ही जीवन है, और गंगा हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक पहचान की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जन-जन की जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि गंगा और उसके सहायक जलस्त्रोत शुद्ध, स्वच्छ और सतत बहते रहें। विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि आज जल का संचय अत्यंत आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य न केवल गंगा की सफाई है, बल्कि जल संरक्षण की परंपरा को फिर से जनजीवन में स्थापित करना है। इस अभियान में जनसहभागिता सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण का केन्द्र महिलाओं द्वारा निकाली गई पारंपरिक कलश यात्रा रही। इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने उपस्थित सभी अधिकारियों व ग्रामीणों को तुलसी के सैंकड़ों पौधे वितरित करके जल संरक्षण की शपथ दिलवाई और सभी को अपने-अपने घर व खेतों में परिंदों के लिए पानी के पात्र बांधने का भी आ ान किया। इस अवसर पर प्रधान रामवतार लांगड़ी, जिला प्रमुख सरोज बंसल, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीरसिंह चौहान, भाजपा शहर अध्यक्ष नितिन छाबड़ा, सरपंच पृथ्वीराज मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, उपखंड अधिकारी अनिता खटीक, तहसीलदार नरेश गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी, पूर्व प्रधान ममता जाट, विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव व सहायक अभियंता मनोहरलाल गोरा सहित कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर (पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, सालकोटी, टोंक रोड़, जयपुर-15)(राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)
क्रमांक : एफ-6() उपा.राज.-द्वितीय(सा.प्र.)/ननिज./2025/88 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक:-17.06.2025

मूल भूखण्ड संख्या सी-118, मोती डूंगरी योजना, जयपुर का अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्